न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/102 **दायरा दिनांक : 09.07.2024**

उनवान

1. भीम सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी संजय कॉलोनी, लवली किराना स्टोर के पीछे दुर्गपुरा रोड़ झालावाड़
2. बाबू सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी संजय कॉलोनी, मगन जी की उचित मूल्य की दुकान के पास, दुर्गपुरा रोड़ झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1. दुष्यंत सिंह चन्द्रावत पुत्र डॉ. बृजराज सिंह चन्द्रावत, जाति राजपूत, निवासी गोदाम की तलाई झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
2. किशन सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
3. जोधराज सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड
4. पुष्पा देवी पुत्री करण सिंह, पत्नी विक्रम सिंह, जाति राजपूत, निवासी बाईजी की कोठी पानी की टंकी के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।
5. मालती देवी पुत्री शंकर सिंह पत्नी नटवर सिंह नरूका, जाति राजपूत (मृतक) जरिये कायम मुकामः–
   5/1. नरेन्द्र सिंह पुत्र मालती देवी, जाति राजपूत हाल निवासी सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड
6. शांति देवी पुत्री शंकर सिंह पत्नी नटवर सिंह नरूका, जाति राजपूत, हाल निवासी सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
7. कांति देवी पुत्री शंकर सिंह नरूका जाति राजपूत, (मृतक) जरिये कायम मुकामः–
   7/1. संजीव सिंह पुत्र कांति देवी
   7/2. विक्रम सिंह पुत्र कांति देवी
   अकवाम निवासीगण सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
8. नारायण दास पुत्र नाथूलाल, जाति माली, निवासी विष्णु नगर बेजार नाड़ी का फाटक, झोटवाड़ा जयपुर, हाल निवासी कमानी चौराहे के पास जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2024/101 **दायरा दिनांक : 09.07.2024**

उनवान

1. भीम सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी संजय कॉलोनी, लवली किराना स्टोर के पीछे दुर्गपुरा रोड़ झालावाड़
2. बाबू सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी संजय कॉलोनी, मगन जी की उचित मूल्य की दुकान के पास, दुर्गपुरा रोड़ झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1. दुष्यंत सिंह चन्द्रावत पुत्र डॉ. बृजराज सिंह चन्द्रावत, जाति राजपूत, निवासी गोदाम की तलाई झालावाड़, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
2. किशन सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड़

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3. जोधराज सिंह पुत्र शंकर सिंह, जाति राजपूत, निवासी सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड
4. पुष्पा देवी पुत्री करण सिंह, पत्नी विक्रम सिंह, जाति राजपूत, निवासी बाईजी की कोठी पानी की टंकी के पास झालाना डूंगरी, जयपुर।
5. मालती देवी पुत्री शंकर सिंह पत्नी नटवर सिंह नरूका, जाति राजपूत (मृतक) जरिये कायम मुकामः–
   5/1. नरेन्द्र सिंह पुत्र मालती देवी, जाति राजपूत हाल निवासी सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड
6. शांति देवी पुत्री शंकर सिंह पत्नी नटवर सिंह नरूका, जाति राजपूत, हाल निवासी सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
7. कांति देवी पुत्री शंकर सिंह नरूका जाति राजपूत, (मृतक) जरिये कायम मुकामः–
   7/1. संजीव सिंह पुत्र कांति देवी
   7/2. विक्रम सिंह पुत्र कांति देवी
   अकवाम निवासीगण सेमली पटपड़िया, पोस्ट गागरोन, तहसील असनावर, जिला झालावाड़
8. नारायण दास पुत्र नाथूलाल, जाति माली, निवासी विष्णु नगर बेजार नाड़ी का फाटक, झोटवाड़ा जयपुर, हाल निवासी कमानी चौराहे के पास जयपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार असनावर, जिला झालावाड

..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 20.12.2024**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर के प्रकरण संख्या 94/2016/दावा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2016 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि मुताबिक जमाबन्दी ग्राम बाल्याखेड़ी पटवार हल्का कोलाना, तहसील झालरापाटन (वर्तमान असनावर) जिला झालावाड़ सम्वत 2069 से 2072 के खाता संख्या नया 9 पुराना 9 के खसरा नम्बर 14 की 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 24 की 08 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 25 की 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 26 की 6 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 28 की 5 बीघा 11 बिस्वा खसरा नम्बर 29 की 5 बीघा 10 बिस्वा जुम्ला 6 किता की 34 बीघा कृषि भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, असनावर ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2016 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.07.2017 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

इस न्यायालय में प्रस्तुत दोनों अपीलों के कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय एवं डिक्री योग्य अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं न्याय के विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवं डिकी जेर अपील पारित करने में सिविल प्रक्रिया संहिता व लोक अदालत के प्रावधानों पर गौर फरमाये बिना ही वाद डिक्री कर दिया जो अवैधानिक है। अधीनस्य न्यायालय में दिनांक 25.06.2016 को जो राजीनामा प्रपत्र राजस्व लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ उसमें केवल रेस्पोडेन्ट क्रम–1/वादी दुष्यन्त सिंह एवं रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी क्रम–4, 5 व 9 के ही हस्ताक्षर हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.06.2016 पर भी इन्हीं के हस्ताक्षर हैं। अपीलान्ट द्वारा कोई सहमति राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया, जबकि कानूनन राजीनामे के आधार पर डिक्री तब ही जारी की जा सकती है जब सभी पक्षकार सहमत हो, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं फरमाया एवं निर्णय तथा डिक्री पारित कर दी जो अवैधानिक है। राजस्व लोक अदालत के नियमों के मुताबिक एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें सम्बंधित समस्त पक्षकार राजीनामे के लिए आवेदन करें और राजीनामे पर अपने हस्ताक्षर करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत के दिशा निर्देशों की ओर कोई गौर नहीं फरमाया और कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित कर दी जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय एवं डिक्री जारी करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं किया गया और राजीनामा एवं आदेशिका दिनांक 25.06.2016 पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर प्रदान नहीं करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के पूर्णतया विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी गौर नहीं फरमाया कि दिनांक 25.06.2016 को समस्त पक्षकार उपस्थित नहीं थे तो अधीनस्थ न्यायालय को विधिक प्रावधानों के तहत प्रकरण का राजस्व लोक अदालत में निस्तारण न कर नियमित वाद में सुनवायी की तारीख नियत करनी चाहिए थी। पक्षकारान की सहमति बिना लोक अदालत में मेरिट पर निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। बंटवारा प्रस्ताव में अपीलान्ट के कब्जे की भूमि वादी को दे दी है और वादी के कब्जे की भूमि अपीलान्ट व अन्य प्रतिवादी को दे दी गई है। इसलिए मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। फाइनल डिक्री की पालना में पटवारी हल्का द्वारा वादी का कोई कब्जा नहीं दिया गया। इसलिए वादी के द्वारा तहसील से अवैधानिक नोटिस अपीलान्ट को दिलाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्राथमिक डिक्री में यह कहीं भी उल्लेख नहीं है कि किस पक्षकार का कितना हिस्सा निर्धारित किया। आदेश अस्पष्ट एवं अवैधानिक है, स्पिकिंग आदेश नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के मुताबिक प्रतिवादी मालती देवी एवं प्रतिवादी कांति देवी फौत हो जाने से अपील में उनके वारिसान को कायम मुकाम बनाया गया है।

वक्त बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा मौके पर अपीलान्ट को तलब नहीं किया गया और ना ही कोई सूचना दी एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। आदेशिका दिनांक 11.07.2017 पर किसी भी पक्ष के अधिवक्ता की उपस्थिति के अथवा पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। बिना आधार के बंटवारा प्रस्ताव पर स्वीकृति मानते हुऐ फाइनल डिक्री का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक है। अवैधानिक राजीनामा प्रपत्र पर केवल वादी दुष्यन्त सिंह व प्रतिवादी जोधराज सिंह, पुष्पा व नारायण

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सैनी के हस्ताक्षर हैं। सभी पक्षकारान की सहमति बिना फाइनल डिक्री भी पारित नहीं की जा सकती। अवैधानिक राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित की है जो निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित आराजी में मामले में बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार न कर आई. एल.आर व पटवारी हल्का के द्वारा तैयार किया गया है। बंटवारे के नियम के मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने के लिए आई.एल.आर एवं पटवारी हल्का सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति में बंटवारा प्रस्ताव बंटवारे के नियमों के विपरीत होने से इस बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाइनल डिक्री का आदेश पारित करने में त्रुटि की है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.06.2016 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स ने माननीय न्यायालय में पृथक से अपील प्रस्तुत कर दी है।

अतः दोनों अपीले प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2016 एवं फाइनल डिक्री दिनांक 11.07.2017 निरस्त फरमायी जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह अपीलान्ट्स को विधि सम्मत् तरीके से सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुऐ प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.06.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है, जबकि पत्रावली तलबी में थी। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे पर हमारे हस्ताक्षर भी नहीं है। राजीनामे पर दोनों पक्षों के सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर होकर तस्दीक होना आवश्यक होता है। दोनों पक्षों की आपसी सहमति और हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय में हमें तलबी नहीं हुई है। हमें सुनवाई और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाये। प्राथमिक डिक्री कानून विरूद्ध होने से फाइनल डिक्री स्वतः ही खारिज योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर रिमाण्ड की जाये। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 476, आर.आर.टी. 2024 (2) पेज 964, आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 446, आर.बी.जे. 1998 पेज 257, आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1105 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की अपील प्रतिवादी नं. 2 व 3 ने प्रस्तुत की है। विवादित आराजी के लगभग 20 खातेदार हैं। अपीलांट वादग्रस्त आराजी के 7/40 हिस्से के हकदार है। अपीलांट शंकरसिंह के वारिसान है। जमाबंदी में हिस्सा पूर्व से ही दर्ज है। जमाबंदी में दर्ज हिस्से के अनुसार ही हिस्सा निर्णित हुआ है। वादग्रस्त आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का ही निर्णय हुआ है। राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः प्राथमिक डिक्री यथावत रखी जाये। अपीलांट की आपत्ति है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा बंटवारा प्रस्ताव पर हमारे हस्ताक्षर नहीं है। एल.आर.ए. की धारा 23 C के अनुसार पावर तहसीलदार डेलिगेट कर सकता है। अपीलांट ने अपील में कहीं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नहीं कहा कि उन्हें उनके कब्जे की आराजी नहीं दी गई है। बंटवारा प्रस्ताव कब्जे के अनुसार ही बनाया गया है, जो सही है। अपील खारिज की जाये।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। वादी रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 25.06.2016 के अनुसार "न्याय आपके द्वार" राजस्व लोक अदालत 2016 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कोलाना में दिनांक 25.06.2016 को पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार असनावर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व धारा 209 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी का बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया। तहसीलदार असनावर द्वारा उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 11.07.2017 के अनुसार तहसीलदार असनावर के पत्र क्रमांक 310/राजस्व/17 दिनांक 10.07.2017 से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी की ओर से विद्वान अभिभाषक याघवेन्द्र तिवारी एवं प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री अभिषेक आचार्य की उपस्थिति में तहसीलदार, असनावर द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव स्वीकृत करते हुए मूल वाद में फाइनल डिक्री जारी की गई।

अपीलांट प्रतिवादी नं. 2 व 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2016 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.07.2017 से अप्रसन्न होकर क्रमशः अपील संख्या 2024/102 एवं अपील संख्या 2024/101 दायर कर कथन किया है कि पत्रावली तलबी की स्टेज पर थी। समस्त पक्षकारों की सहमति के बिना प्रकरण को दिनांक 25.06.2016 को न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत में रख दिया और केवल रेस्पोडेंट क्रम 1 एवं प्रतिवादीगण क्रम–4, 5 व 9 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रपत्र के आधार पर कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय एवं डिक्री जेर अपील पारित कर दी जो लोक अदालत के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट द्वारा कोई सहमति राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। राजस्व लोक अदालत के नियमों के मुताबिक एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राजस्व लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिनमें संबंधित समस्त पक्षकार राजीनामे के लिए आवेदन करें राजीनामे पर हस्ताक्षर करें। राजीनामा एवं आदेशिका दिनांक 25.06.2016 पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील में अंकित उक्त तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया। "न्याय आपके द्वार" राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कोलाना दिनांक 25.06.2016 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामे पर सभी पक्षकारान/अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। विवादित आराजी में अपीलांट सहखातेदार/सहहिस्सेदार हैं। अतः राजीनामा सभी पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। सभी सहखातेदारों के सहमति हस्ताक्षर के अभाव में निष्पादित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजीनामा प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2016 लोक अदालत की भावना एवं राज्य सरकार द्वारा लोक अदालत के संदर्भ में समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय की प्रत्रावली के अवलोकन अनुसार यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तहसीलदार असनावर द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने में राजस्थान टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यु) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। पत्रावली में संलग्न बंटवारा प्रस्ताव पटवारी एवं आई.एल.आर. ने तैयार किया है जिस पर सभी सहखातेदार/अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है। तहसीलदार असनावर ने केवल अपने पत्र क्रमांक 310/राजस्व/17 दिनांक 10.07.2017 से बंटवारा प्रस्ताव को उपखंड अधिकारी, असनावर को फॉरवर्ड किया है। अपीलांट की अनुपस्थिति में पटवारी एवं आई.एल.आर. द्वारा तैयार किया गया बंटवारा प्रस्ताव बंटवारा नियम 18 से 21 के विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 11.07.2017 खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले अपील संख्या 2024/202 एवं 2024/201 अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.06.2016 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 11.07.2017 खारिज किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा–निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि यदि सभी पक्षकारान आपसी सहमति से राजीनामा/समझौता प्रस्तुत करते है तो प्रस्तुत राजीनामें को तस्दीक करते हुए सहमति/राजीनामे के अनुसार निर्णय पारित किया जावे अन्यथा उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर तनकीवार विवेचन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। साथ ही बंटवारा प्रस्ताव में नियम 18 से 21 की पालना कराना भी सुनिश्चित किया जाये। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । 20/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा